फारम सं0-563

क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

/7/23 बासुदेव ठाकुर, पिता स्व0 अमृत ठाकुर, मौजा-अइरा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-बाँका, थाना नं0-89, खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-2109, 2121 रकबा क्रमशः 02डी0, 8.30डी0 कुल रकबा-10.30 डी0 भूमि महेश ठाकुर, पिता स्व0 ठकुरी ठाकुर, ग्राम-बाँका, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-278/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1654/रा0 दिनांक-13.05.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 839 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत दुरगी साहु हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 02.46 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 01.9 एकड़ है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-98/V पर जीरवा देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2016-17 तक लगान रसीद निर्गत् है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् अवशेष रकवा 01 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3
	उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बासुदेव ठाकुर, पिता स्व0 अमृत ठाकुर, मौजा-अड़रा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-बाँका, थाना नं0-89, खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-2109, 2121 रकवा क्रमशः 02डी0, 8.30डी0 कुल रकवा-10.30 डी0 भूमि महेश ठाकुर, पिता स्व0 ठाकुरी ठाकुर, ग्राम-बाँका, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 15/7/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 15/7/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.17 16:04:08 +05:30
Location: 192.168.43.127